

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त सहायक कलक्टर मुकाम बात्रु

उगाराम बनाम केसराम वगै।

किस्म मुकदमा नं० ८०, ५३, १८८ के नं० १०/१५ सन् २०१५

तारीख हुकम	हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/7/15	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिणुधाराय मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा <u>८८, ५३, १८८</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>२५/०८/१५</u> को पेश हो।</p>	
25/8/15	<p>वादी वकील उपर/ जलपेठिका इ</p> <p>लफ्फ लालिका अड्ड लालिका अजाला</p> <p>इत्यादि के पत्रावली भागती</p> <p>पेशी दिनांक 16/11/15 के पेश हो।</p>	
16/11/15	<p>वादी वकील उपरिचत। प्रतिवादीगण संख्या</p> <p>1 से 11, 13 से 22 व 24 से 29, 31 से 35, 37 व 41 के</p> <p>सम्मन तामिल व प्रतिवादीगण संख्या 12, 23, 30, 38</p> <p>से 40 के सम्मन प्राप्त तामिल प्राप्त। प्रतिवादी संख्या</p> <p>36 के सम्मन पर फौरत होना लिखा गया। प्रतिवादी</p> <p>संख्या 18 ही कोर के वकील श्री पूंजराज कामठी</p> <p>द्वारा बहालनामा पेश किया गया जिसे शामिल</p> <p>पत्रावली किया गया। इतः इत्यादि पत्रावली दिनांक</p> <p>15/12/15 के पेश हो।</p>	<p>तौजारा ४</p>

15/12/15

वादी व प्रतिवादी संख्या 18 के कबिल उपर।
 प्रतिवादी संख्या 1 से 11, 13 से 17, 19 से 22, 24 से
 29, 31 से 35, 37 व 41 वाकजुड तामिल अनुपस्थित।
~~प्रतिवादी संख्या~~ न्यायालय समग्र तीन वा आवाज
 लगाई गई प्रतिवादी स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई
 उपस्थित नहीं हुए। आन्तिम आवाज 5:45 pm पर
 लगाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु खिलाफ
 एडवोकेट कार्यवाही ममल में लाई जाती है। वादी
 कबिल प्रतिवादी संख्या 12, 23, 30 व 38 से 40 के समान
 पुनः पेश करें। तथा प्रतिवादी संख्या 36 के प्रतिवादी
 के कामम सुधार पेश करें। प्रतिवादी संख्या 18 के कबिल
 जवाब पेश करें। पेश होने पर पत्रावली क्रिना दिनांक
 24/02/16 को पेश हो।

8/4/02/16

वादी व प्रतिवादी संख्या 18 के कबिल उपस्थित।
 वादी कबिल द्वारा पूर्व क्रिना ही चालना व प्रति-
 वादी संख्या 18 के कबिल द्वारा जवाब पेश नहीं
 किया गया। क्रिना पेश करना चाहते हैं किन्तु
 दिना जात्र पत्रावली दिनांक 18/04/16 को पेश हो।

10/4/16


वादी व सं. सं. 18 के कबिल उप।
 जवाब देना देवदर नाहने है दिना जात्र
 पत्रावली क्रिना दिनांक 3/0/16 को पेश हो।

रा. 08/15 70/15

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पञ्जावली आग हुक्म दौरे में पेश
हुके वाली वाडिस के ज. सं. 18 के सम्बन्ध
उपरो. परिवारी सं. 1 से 11, 13 से 22,
24 से 29, 31 से 35, 37 के 41 के सम्बन्ध
पूर्व में दिनांक 16/11/15 को तामील बुद्धा
जाए तो शुरू है रफा ज. सं. 12, 23,
36 कोल तो शुरू [मिस्त्री केसमी] रफा
ज. सं. 12, 23 व 30 के सम्बन्ध रुस
तामिल आग इ अके सम्बन्ध 4/8
वाडिस हुके पेश हो पेश होत पर
करी हो / पञ्जावली आईना दिनांक
17/8/16 को पेश हो /


31/1/16

17/08/16

वहुलम्य जारीकेन उपस्थित। वाडी व
परिवारी वहील द्वारा पूर्व आरेखिज की पालम्य
नहीं की गई, आईना बना चाहते हैं पूर्व
में पथालत अवसर दिये जाने अन्तिम अवसर
दिना जाउर पञ्जावली आईना दिनांक 05/10/16
को पेश हो।



05/10/16

वहुलम्य जारीकेन उपस्थित। सीमान पीठासीन
महिधारी का लगानांतरण हो चुका है। अतः
मिशाल इलतवा होडा आगामी दिनांक 29/11/16
को पेश हो।

29/11/16

वासी वडोली उपस्थित। वासी वडोली झाल
प्रतिवासी संख्या 12, 23 व 30 के समान उन: पैरा
नही किन्ने गये, पूर्व में पृथक अवसर दिने
गये, न्यायादित में एड और अवसा दिमा जाड
पत्रावली काईला दिनांक 23/01/17 को पैरा ही।

सेवासं.

वासी

मंमं 2020 पत्रावली काज श्री रिणारुम भाई.
के निवेदन पर प्रस्तुत हुई। अधि:
ने 100t Press किया। लिखत पत्रावली
में वाडु 100t Press में खारिज किया-
पर ही फिलर शुमार हो कर नम्बर
ले जा ही

बिबु व्याय

7.7.2020

सहायक कलेक्टर (SDO)

वाडु

Natani

~~Handwritten signature~~

7/7/2020

फर्द अहकाम


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

उगराराम

बनाम

केसाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 130/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.07.15	<p>प्रार्थी की और से प्रार्थी वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जो दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी वकील को अन्तरिम आदेश पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी की भूमि पैतृक है। सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 को आगामी पेशी तारीख 25.08.2015 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी मौजा चौखला के खेत खसरा नं. 195 रकबा 01.19 बीघा, खसरा नम्बर 196 रकबा 17.19 बीघा, खसरा नम्बर 205 रकबा 43.05 बीघा, खसरा नम्बर 206 रकबा 00.09 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 87.09 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 00.03 बीघा, खसरा नम्बर 311 रकबा 23.10 बीघा, खसरा नम्बर 344/195 रकबा 00.16 बीघा कुल खसरा 8 कुल रकबा 175.10 बीघा, मौजा करनपुर के खेत खसरा नम्बर 168 रकबा 02.07 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 60.14 बीघा, खसरा नम्बर 219/168 रकबा 02.00 बीघा, खसरा नम्बर 256/168 रकबा 03.11 बीघा, खसरा नम्बर 258/183 रकबा 09.09 बीघा, खसरा नम्बर 659/183 रकबा 02.02 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 80.03 बीघा, मौजा सखरोड़ा के खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 334.07 बीघा तथा खावड़िया के खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 220.08 बीघा पटवार मण्डल चौखला की भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे तथा न किसी प्रकार का बेचान या रहन, न ही किसी प्रकार का नया कच्चा-पक्का निर्माण आदि करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 25.08.2015 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	

25/01/15

प्रार्थी वहील उपरि। अर्थात्सिंहा के नोहिम
लागिल अइह लागिल मजरा व-लाका
होकर पत्रावली काली पत्रावली दिनांक
16/11/15 को पेश हो।

4/62/16

16/11/15

प्रार्थी वहील उपरि। अर्थात्सिंहा संख्या 1 से 11,
13 से 22, 24 से 29, 31 से 35, 37 व 41 के नोहिम नामिल
व अर्थात्सिंहा संख्या 12, 23, 30, 38 से 40 के नोहिम नामिल
नामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अर्थात्सिंहा-
जहा संख्या 36 के नोहिम पर फौज होगा लिखा गया।
अर्थात्सिंहा संख्या 10 की फौज से मूल का में वहील
भी पुनरावलोकन करा नडालावनाय पेश किन जा
जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तब: फौज
पत्रावली काली दिनांक 15/12/15 को पेश हो। तबतक
दस्तावेज फौज एवं जमानुमद यथावत रहेगा।

15/12/15

प्रार्थी व अर्थात्सिंहा संख्या 18 के वहील उपरि।
अर्थात्सिंहा संख्या 1 से 11, 13 से 17, 19 से 22, 24 से 28, 31 से 35,
37 व 41 बाकतुड लागिल अनुपरि। प्रार्थी वहील अर्थात्सिंहा
संख्या 12, 23, 30, 38 से 40 के पुनः नोहिम व अर्थात्सिंहा
संख्या 36 की फौज के उपाय युक्त पेश करें।
तथा अर्थात्सिंहा संख्या 10 के वहील जवाब पेश करें।
अत्र होने पर पत्रावली काली दिनांक 24/02/16 को
पेश हो। तबतक दस्तावेज फौज एवं जमानुमद यथावत
रहेगा।

10/2/16
पार्थी व अपार्थी संख्या 18 के कठिल उपण
पार्थी कठिल द्वारा पूर्व क्रोशिश की पासना व
अपार्थी कठिल द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया
कारिना पेश करना चाहते हैं क्वसल डिमा जडा
पभावली कारिना दिनांक 18/04/16 को पेश हो
L

18/4/16
पार्थी व अपार्थी 18 के कठिल
उपण / जकार हेतु अवकाश-पाहणे
है क्वसल डिमा जकार पभावली
कारिना 3/6/16 को पेश हो
L

3/6/16
पभावली काज वेम्य डोई में पेश
हुई पार्थी कठिल व वि. सं. 18 के
कठिल उपण / वि. सं. 1 से 11, 13 से
22, 24 से 29, 31 से 35, 37 व 41
है गोरिके र्थ में दिनांक 18/11/15
का क्वसल ताकिल शुछा साप्ता हो
रुके है उथा वि. सं. 36 पाहो हो
रुका है वि. सं. 12, 23, 30 के गोरिके
रुसक ताकिल साप्ता जिनके गोरिके
हुं: पेश कर पेश होवे परमा
होके पभावली कारिना दिनांक
17/8/16 को पेश हो
L

17/08/16

पहुलाय जारी हैन उपस्थित। दोनों पत्रों के अधिवक्ता द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई, आदेशिका करना चाहते हैं पूर्व में पत्रालय अवकाश दिये गये अंतिम अवकाश दिया जाय पत्रावली दिनांक 05/10/16 को पैसा है तबतक स्थगन आदेश प्रकियाशासुमाय यथावत रहेगा।

05/10/16

पहुलाय जारी हैन उपस्थित। निम्न पीठकी अधिवक्ता का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः मित्राल इलतवा डोक्ट आगापी दिनांक 29/11/16 को पैसा है। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशिका यथावत रहेगा।

29/11/16

पत्रावली पत्रालय उपस्थित। पत्रावली पत्रालय द्वारा विपरीतानो विपरीतानो संख्या 12,23 व 30 के नोटिस पुनः पैसा नहीं किन्तु गये पूर्व में पत्रालय अवकाश दिये गये, न्यायाधिक में एक कार्र अवकाश दिया जाय पत्रावली आदेशिका दिनांक 23/01/17 को पैसा है।

अप्र 2020

पत्रावली भी रिपब्लिकन-वारी डा. वि. डि निवेदन पर प्रस्तुत हुई। मूल व. नं. 20/2015 Not Press में खारिज हो गई है अतः प्रार्थना पर चलने योग्य नहीं है प्रार्थना पर भय स्थगन खारिज किया गया है। पत्रावली फिलहाल ही पर हाथिल हफ्तर ही नम्बर के कम है।

वि. वि. वि.
7.7.2020

अप्र 2020
27/7/2020